# **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड**

**(भारत सरकार का उपक्रम- मिनी रत्न कंपनी)**

**An ISO 9001-2008 & 14001-2004 Certified Company**

**क्षेत्रीय कार्यालय शेखपुरा, राजाबाजार, पटना -14**

File No- Admn-22/NSC:Pat/2015-16 दिनांक 17.02.2016

## **अल्प-कालीन निविदा आमंत्रण सूचना**

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड अपने फार्म बलियापुर ,जिला धनबाद (झारखंड) में कृषि कार्यो हेतु श्रमिक व मशीनी कार्यो की आउटसोर्सिंग कार्यो के लिये अनुभवी जॉब कांट्रैक्टर जो श्रम विभाग ,ई.एस. आई एवं प्रोविडेंट फण्ड विभाग में पंजीकृत हो, जॉब कांट्रैक्टर से दो बिड सिस्टम में दिनांक **01/03/2016** को दो बजे अपराहन तक क्षेत्रीय कार्यालय शेखपुरा पटना में निर्धारित प्रपत्र पर मुहर बंद निविदाये आमंत्रित करता हैं, जो उसी दिन 3 बजे अपराहन में निविदादाताओ, यदि कोई हो के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक व्यक्ति रू 500/– के भुगतान पर उक्त वर्णित कार्यालय या प्रक्षेत्र कार्यालय राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ,रातू रोड ,रांची (झारखण्ड) से दिनांक **29/02/2016 तक** निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। निविदा सूचना एन.एस.सी. की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखा जा सकता है। क्षेत्रीय प्रबन्धक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड पटना को बिना कोई कारण बताये आंशिक या पूर्ण निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

# कृषि कार्यो के लिये नियम व शर्ते -

---------------------------------------------------------------

1 ठेकेदार को कृषि कार्यो / सभी कार्यों के लिये पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिको की व्यवस्था करनी होगी ,जो कि तीन-चार दिन पहले फार्म प्रभारी द्वारा अवगत करा दिया जावेगी ।

2.सफल ठेकेदारों को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता ( एग्रीमेन्ट) पर हस्ताक्षर करने होंगे (प्रारूप सलंग्न ) ,इसके लिये पार्टी को रू एक सौ के नान ज्युडिशियल स्टाम्प फार्म पर मय हस्ताक्षर के देना होगा ।

3. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का श्रमिक फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रख सकेगा, यदि कोई पशु रखते पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा सकता हैं ।

4.यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने के बाद कार्य करने के लिये पर्याप्त श्रमिको / दिए गये कार्य का संपन्न समय से नहीं कर पाता हैं, तो फार्म प्रभारी अपने स्तर से प्रबन्ध करेंगे तथा इस कार्य में निर्धारित दर से यदि अधिक रकम देनी पड़ी तो ठेकेदार के बिलों से ही यह राशि काट ली जायेगी ।

5.कृषि कार्यो को करने के लिये कुदाल ,फावडा ,कस्सी, दरांती तथा कसौला आदि ठेकेदार / ठेकेदार के मजदूर को स्वयं प्रबन्ध करना होगा ।

6.फसल की रोपाई ,गुड़ाई कटाई एवं अन्य कार्य आदि की जाँच का कार्य फार्म प्रभारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा । यदि कोई कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दुवारा निशुल्क करना होगा । दोवारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो फार्म प्रभारी द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्यो के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जायेगी ।

7.ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिलों से की जायेगी ।

8.ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्य का बिल माहवार प्रस्तुत करना होगा ।

9.ठेकेदार को मजदूरों को लाने व ले जाने की अथवा रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

10. फसल में पानी लगते समय खेतों की देखरेख एवं पानी लगाने तक का कार्य स्वीकृत दरों पर करना होगा । यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निशुल्क निकलना होगा ।

11.यदि फार्म सुपरवाइजर/अधिकारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा फार्म प्रभारी या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

12. ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता हैं तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा । यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो जो भी खर्चा फार्म का होगा वह ठेकेदार से वसूला जायेगा ।

13. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवम् दुघर्टना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी दुधर्टना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि फार्म को किसी मामलें मे ठेकेदार की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड़ा तो फार्म मय हर्जे,खर्चे को ठेकेदार को देय **राशि** से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।

14. विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पुर्वानुमान/नियन्त्रण /निदान सम्भव नहीं हो, की स्थिति में यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तो को पूरा नही कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रबन्धन का निर्णय ही अन्तिम होगा।

15. सफल निविदादाताओं **को** धरोहर (SECURITY DEPOSITE) राशि रूपये 500000/ मात्र (रूपये **पांच** लाख ) का डी.डी. जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,**पटना** के नाम देय हो, जमा कराना होगा। धरोहर **राशि** कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। ठेकेदार को अपना पैन कार्ड व स्थायी पता देना होगा तथा नियमानुसार टीडीएस भी देना होगा।

16. **फार्म** के क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा कोई स्थायी निर्माण व अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां (फार्म द्वारा प्रदत कार्यों के अतिरिक्त) नहीं करेगा।

17. ठेकेदार के कार्य में लगे श्रमिक व **मशीन** की सूची ठेकेदार द्वारा फार्म को उपलब्ध करवानी होगी।

18. **ठेकेदार** के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सह प्रबन्धक **निदेशक** कॉर्पोरेट आफिस, राष्ट्रीय बीज निगम लि. नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित एकल आर्बिट्रेटर का निर्णय अन्तिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा।

18.ठेके के कार्य की अवधी, समर 2016, खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 (31.03.2017) तक मान्य होगी ,अगर ठेकेदार पुरानी अनुमोदित दरों पर 31.03.2017 के बाद कार्य करने के लिये सहमत होते है तो ठेके की अवधी एक वर्ष तक और वढाई जा सकती है ।

19. निविदादाताओ को यह आवश्यक होगा कि वे रू. 50000/– (रू पचास हजार मात्र ) का डिमांड ड्राफ्ट (DD) अग्रधन राशि (EMD) के रूप में जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नाम से पटना में देय हो,टेकनीकल बिड के साथ प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर..............................

निविदादाता का नाम व पूरा पता

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड **क्षेत्रीय कार्यालय पटना के बलियापुर फार्म के** श्रमिक व मशीन कार्य की आउटसोर्सिंग **कार्यो के** लिए निविदा पत्र

---------------------------------------------------------------

# तकनीकी बिड

1.फर्म या ठेकेदार का नाम व पता------------------------

------------------------------------------------------------

2.फर्म के मालिक / पार्टनर के नाम-----------------------------

3. फ़र्म / ठेकेदार का पंजीयन नंबर ( कॉपी सलंगन करें )

4 पेन नंबर की प्रति -----------------------------------

5.ई.एस.आई का पंजीयन नंबर ( प्रमाणपत्र की प्रति-सलंगन करें)------

6.पी.एफ. का पंजीयन नंबर ( प्रमाणपत्र की प्रति-सलंगन करें)------

7. फर्म या ठेकेदार का लेबर पंजीयन लाइसेंस नंबर ( प्रमाणपत्र की प्रति-सलंगन करें)

-----------------------------------------

8.अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति-----------------------------

9. अमानत राशि का विवरण -------------------------

मैंने निविदा की समस्त नियम व शर्तो को अच्छी तरह पढ़ व समझ लिया है । में फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिय सहमत हूॅ । इस **आशय** का सपथपत्र रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत करदूंगा।

हस्ताक्षर..........................................

निविदादाता का नाम व पूरा पता......................

# National Seeds Corporation of India Limited

**Central State Farm, Baliapur, Distt.Dhanbad (Jharkhand.)**

## FINANCIAL BID

**Rate quoted Agricultural Operation at C.S.F. Baliapur, distt. Dhanbad.(Jharkhand)**

| S.L. No. | Name of Agricultural Operation | Rate per Acre &Per Man days per day, Per qtls. Etc. | Remarks |
|---|---|---|---|
| **A-** | **Land Operation by Tractor Single operation** | | |
| 01 | Cultivator per Acre | | |
| 02 | Harrowing (Land Opening) Per Acre. | | |
| 03 | Puddling Per Acre | | |
| 04 | Application of Patela Per Acre. | | |
| 05 | Rotavater per Acre. | | |
| 06 | Intercultural by tractor per Acre. | | |
| 07 | Sowing by Seed drill per Acre. | | |
| 08 | Transplanting of Paddy per Acre by labours | | |
| 09 | Cleaning/de-silting of Irrigation channel per meter length | | |
| 10 | Application of Irrigation/ Palewa by Labour per Acre | | |
| 11 | Labour Rate per day per mandays as per labour wages stipulated by the Jharkhand .Government | | |
| 12 | Rouging of Crops per Acre. | | |
| 13 | Weeding of Crop per Acer. | | |
| 14 | Broadcasting of Fertilizer, Gypsum etc. per Acre. | | |
| 15 | Pesticides, fertilizer, etc. spraying Per Acre. | | |
| 16 | Butt making,strinthing per butt Rate | | |
| 17 | Paddy Nursery preparation/sowing per Acre. | | |
| 18 | Raw Produce all Crops drying at winnowing center per qtls. | | |
| **B** | **Harvesting and Stacking of crops per Acre.** | | |
| 19 | Harvesting, threshing with Stacking all crops by Combine per Acre. | | |
| 20 | Harvesting, threshing with Stacking all crops by Manuals (Labours) Per Acre. | | |
| 21 | Raw seed/ Seed loading& Unloading per qtls. | | |

Cont. Page-II

From pre page:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| *22* | *Raw produce/ Seed bagging, Stacking, stitching per qtls.* | | |
| *23* | *Produce/ Seed transportation Charges per qtls by tractor trolly /truck if any per qtls 0.00 K.M. to 15 K.M.* | | |
| *24* | *Produce/Seed transportation Charges per qtls by tractor trolly/ truck if any up to-16 to100 km* | | |
| *25* | *Irrigation / Acre by lifting water from the pound.* | | |
| *26* | *Bush cleaning and uprooting of unwanted plants /trees /Acre.* | | |
| *27* | *Providing JCB machine for cutting & filling soil on per hundred cubic meter and per hr.* | | |

**Name & Full address of party**

# अनुबंध का प्रारूप

यह अनुबंध आज दिनांक --------------------------को निम्न द्वारा निष्पादित किया गया ।
फार्म प्रभारी /निदेशक केंद्रीय राज्य फार्म बलियापुर जिला धनबाद (झारखण्ड) (प्रथम पक्ष )

और

ठेकेदार श्री -----------------पुत्र श्री ----------------------(पूरा पता) (द्वितीय पक्ष)

प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 17.02.2016 को अपने फार्म बलियापुर ,जिला धनबाद (झारखंड) में कृषि कार्यो हेतु श्रमिक व मशीनी कार्यो की आउटसोर्सिंग कार्यो के लिये निविदाये मांगी गयी थी,जिसमे द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तावित अनुमोदित दरों को प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है -.

1 ठेकेदार को कृषि कार्यो / सभी कार्यों के लिये पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिको की व्यवस्था करनी होगी ,जो कि तीन-चार दिन पहले फार्म प्रभारी द्वारा अवगत करा दिया जावेगी ।

2.सफल ठेकेदारों को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता ( एग्रीमेन्ट) पर हस्ताक्षर करने होंगे (प्रारूप सलंग्न ) ,इसके लिये पार्टी को रू एक सौ के नान ज्युडिशियल स्टाम्प फार्म पर मय हस्ताक्षर के देना होगा ।

3. कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का श्रमिक फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रख सकेगा, यदि कोई पशु रखते पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा सकता हैं ।

4.यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने के बाद कार्य करने के लिये पर्याप्त श्रमिको ६ दिए गये कार्य का संपन्न समय से नहीं कर पाता हैं, तो फार्म प्रभारी अपने स्तर से प्रबन्ध करेंगे तथा इस कार्य में निर्धारित दर से यदि अधिक रकम देनी पड़ी तो ठेकेदार के बिलों से ही यह राशि काट ली जायेगी ।

5.कृषि कार्यो को करने के लिये कुदाल ,फावडा ,कस्सी, दरांती तथा कसौला आदि ठेकेदार / ठेकेदार के मजदूर को स्वयं प्रबन्ध करना होगा ।

6.फसल की रोपाई ,गुड़ाई कटाई एवं अन्य कार्य आदि की जाँच का कार्य फार्म प्रभारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा । यदि कोई कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दुवारा निशुल्क करना होगा । दोवारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो फार्म प्रभारी द्वारा गठित कमेटी के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के अन्य कार्यो के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जायेगी ।

7.ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिलों से की जायेगी ।

8.ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्य का बिल माहवार प्रस्तुत करना होगा ।

9.ठेकेदार को मजदूरों को लाने व ले जाने की अथवा रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

10. फसल में पानी लगते समय खेतों की देखरेख एवं पानी लगाने तक का कार्य स्वीकृत दरों पर करना होगा । यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निशुल्क निकलना होगा ।

11.यदि फार्म सुपरवाइजर/अधिकारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा फार्म प्रभारी या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

12. ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता हैं तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा । यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो जो भी खर्चा फार्म का होगा वह ठेकेदार से वसूला जायेगा ।

13. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवम् दुघर्टना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी दुधर्टना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि फार्म को किसी मामलें मे ठेकेदार की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड़ा तो फार्म मय हर्जे,खर्चे को ठेकेदार को देय **राशि** से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।

14. विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पुर्वानुमान/नियन्त्रण /निदान सम्भव नहीं हो, की स्थिति में यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तो को पूरा नही कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रबन्धन का निर्णय ही अन्तिम होगा।

15. निविदा में भाग लेने के लिए धरोहर (SECURITY DEPOSITE) राशि रूपये 500000/ मात्र (रूपये **पांच** लाख ) का डी.डी. जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,**पटना** के नाम देय हो, जमा कराना होगा। सफल निविदादाताओं की धरोहर **राशि** कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। ठेकेदार को अपना पैन कार्ड व स्थायी पता देना होगा तथा नियमानुसार टीडीएस भी देना होगा।

16. **फार्म** के क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा कोई स्थायी निर्माण व अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां (फार्म द्वारा प्रदत कार्यों के अतिरिक्त) नहीं करेगा।

17. ठेकेदार के कार्य में लगे श्रमिक व **मशीन** की सूची ठेकेदार द्वारा फार्म को उपलब्ध करवानी होगी।

18. **ठेकेदार** के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सह प्रबन्धक **निदेशक** कॉर्पोरेट आफिस, राष्ट्रीय बीज निगम लि. नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित एकल आर्बिट्रेटर का निर्णय अन्तिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा।

**18.ठेके के कार्य की अवधी, समर 2016, खरीफ 2016 एवं रबी 2016-17 (31.03.2017 तक) तक मान्य होगी ,अगर ठेकेदार पुरानी अनुमोदित दरों पर 31.03.2017 के बाद कार्य करने के लिये सहमत होते है तो ठेके की अवधी एक वर्ष तक और वढाई जा सकती है ।**

19.निविदादाताओ को यह आवश्यक  होगा कि वे रू. 20000/– ( बीस हजार  ) का डिमांड ड्राफ्ट ;क्कद्ध अग्रधन राशि ;म्डक्द्ध के रूप में ***राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  पटना*** के नाम से देय हो ,टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करेगें।

मैंने निविदा की समस्त नियम व शर्तो को  अच्छी  तरह पढ़ व समझ लिया है । में फार्म द्वारा  निर्धरित नियम एवं शर्तो के साथ कार्य करने के साथ सहमत हूँ । इस आशय का शपथ पत्र रुपया 100/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने प्रस्तुत कर दूंगा ।

1. प्रथम पक्ष

2- द्वितीय पक्ष

गवाह 1.

2.

गवाह 1.

2.